



संख्या- 4517 / जी0एस0(शिक्षा) / A16-22 / 2024

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 31 मार्च, 2026

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1084 दिनांक 04 मई, 2024, अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230517114257, प्रस्ताव क्रमांक 240213121232 तथा प्रस्ताव क्रमांक 250102014316 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा, अल्मोड़ा।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र)	133	2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

(1) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(2) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की

जायेगी।

Digitally signed by

Reena Joshi

Date: 31-03-2026

11:36:20 (रीना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या-4517 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A16-22/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

Digitally signed by आज्ञा से,

Anup Singh Negi

Date: 31-03-2026

11:53:09

(अनूप सिंह नेगी)

कुलाधिपति के अनुसचिव।